FC/HPB/104/2023 I/127294/2025



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)

Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest and Climate Change सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड

CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood शिमला, हिमाचल प्रदेश**-171001**



इंमेल/Email: iro.shimla-mefcc@gov.in, दूरभाष/Tel.0177-2658285, फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: As mentioned in E-signature

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार आम्संडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय:

Diversion of 0.7883 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Mandhorghat to Golan Km. 0/0 to 7/810, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla,

Himachal Pradesh. -Reg.

सन्दर्भः

Online proposal no FP/HP/ROAD/121782/2021 reply received on

26.07.2025.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.7883 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है

- 2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **05.02.2025** के अनुपालन में भेजा गया स्पष्टिकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अत: प्रस्ताव से सम्बंधित जानकारी भेजने का कष्ट करे:
 - 1. In reference to observation No-2, REPLY NOT ACCCEPTED, justification for broken area/detail of violation is not found uploaded. Since, broken area has been marked in the Forest land (rather than the road which is mentioned in revenue records as Gair Mumkin rasta) in the KML. Also, a document has been uploaded in additional document in sl. no. 2, part-II, wherein it is submitted that existing road falls in private land and no construction found in forest land but the document is signed by RFO and not authenticated by DFO. Therefore, DFO concerned shall upload the comments along with Site inspection report.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय, ह o/-(राजा राम सिंह) उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
- 2. वन मण्डल अधिकारी, शिमला वन मण्डल, जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश (E-mail: <u>head-fordivshi-hp@hp.gov.in</u>).
- 3. अधिशाषी अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन-शिमला ग्रामीण-धामी (E-mail: ee-sml2-hp@nic.in)